कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-04.12.2025

विषय:- किशोरी को बहला-फुसला कर ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त नरेश करन उर्फ नरेश चंद्र करन को थाना लोहता पुलिस टीम द्वारा सूरत गुजरात से गिरफ्तार किया गया, अपहृता/पीड़िता सकुशल बरामद।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा गुमशुदा/अपहृता की बरामदगी तथा वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के कुशल नेतृत्व में थाना लोहता पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-292/2025 धारा 137(2)/87/352/351(3) बी0एन0एस0 थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी से सम्बन्धित नाबालिग अपहृता/पीडिता को सकुशल बरामद करते हुए, नामजद वांछित अभियुक्त नरेश करन उर्फ नरेश चंद्र करन पुत्र रमेश करन निवासी 69 विसात नगर बमरौली रोड पांडेसरा सूरत गुजरात मूल निवासी ग्राम खल्लीकोट खोज्जापुल्ली थाना खल्लीकोट जिला गंजाम उड़ीसा को नियमानुसार दिनांक-01.12.2025 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय जेएमएफसी द्वितीय न्यायालय सूरत गुजरात से ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त कर गुजरात से थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी लाया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना लोहता पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-

दिनांक-18.10.2025 को वादिनी मुकदमा/प्रार्थिनी ने वादिनी की बेटी उम्र 15 वर्ष के दिनांक-17.10.2025 को घर से स्कूल जाने के लिये निकलने लेकिन घर वापस नहीं आने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना लोहता में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 मो0 आरिफ खान द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

नरेश करन उर्फ नरेश चंद्र करन पुत्र रमेश करन निवासी 69 विसात नगर बमरौली रोड पांडेसरा सूरत गुजरात मूल निवासी ग्राम खल्लीकोट खोज्जापुल्ली थाना खल्लीकोट जिला गंजाम उड़ीसा, उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृता/पीड़िता, उम्र करीब 15 वर्ष सकुशल बरामद।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

मकान नंबर 909 रूम नंबर 303 रुखड़भाई पार्थ सोसायटी थाना अमरोली सूरत शहर गुजरात से, दिनांक-01.12.2025 को समय करीब 09.30 बजे।

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

1- मु0अ0सं0 292/2025 धारा 137(2)/87/352/351(3) बी0एन0एस0 थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।

<u>गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-</u>

1. प्र0नि0 राज बहादुर मौर्य थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 मो0 आरिफ खान लोहता थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।
3. का0 उपेन्द्र कुमार लोहता थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।
4. म0हे0का0 किरन कुमारी थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।